विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

<u>**प्रकरण क्रमांक L00-04/2016**</u>

मेसर्स गायत्री एग्रो, — **आवेदक**
द्वारा – श्री अब्दुल मलिक, पार्टनर,
246, एमागिर्द, खंडवा रोड़,
बुरहानपुर (म0प्र0)

विरूद्ध

कार्यपालक निदेशक (इ.क्षेत्र),
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
पोलोग्राउण्ड, इंदौर (म.प्र.)

— **अनावेदकगण**

अधीक्षण यंत्री (संचा./संधा.),
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
लालबाग रोड, बुरहानपुर (म.प्र.)

पुनरीक्षित आदेश

(दिनांक 28.08.2020 को पारित)

01. आवेदक मेसर्स गायत्री एग्रो ने विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की थी कि उनका 11 के.व्ही. उच्चदाब कनेक्शन ग्राम मोदड़खुर्द तहसील बुरहानपुर में है जो कि ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने से वह टैरिफ आदेश के प्रावधानानुसार फिक्स चार्ज और इनर्जी चार्ज में रिबेट प्राप्त करने का अधिकारी है जो कि अनावेदक कम्पनी द्वारा नहीं दिया जा रहा है । फोरम ने प्रकरण में सुनवाई कर अपने आदेश दिनांक 09.03.2016 से आवेदक की शिकायत अस्वीकार करते हुए निर्णय दिया कि उच्चदाब टैरिफ में ग्रामीण क्षेत्र हेतु नियत प्रभार पर छूट का प्रावधान सिर्फ उन्हीं उपभोक्ताओं हेतु है जो रूलर फीडर से सप्लाई प्राप्त करते हैं और परिवादी इस श्रेणी में नहीं आता है ।

02. फोरम के आदेश से क्षुब्ध होकर आवेदक ने विद्युत लोकपाल के समक्ष अपने लिखित प्रतिवेदन दिनांक 27.04.2016 से अपील प्रस्तुत की । विद्युत लोकपाल द्वारा प्रस्तुत अपील पर सुनवाई कर दिनांक 09.06.2016 को आदेश पारित किया कि अनावेदक कम्पनी का यह कथन कि ग्रामीण क्षैत्र हेतु निर्धारित टैरिफ में दी गई छूट का लाभ आवेदक को नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि उनके विद्युत कनेक्शन को 24 घण्टें डोमेस्टिक फीडर से विद्युत प्रदाय किया जा रहा है ।

03. माननीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश में शामिल सामान्य नियमों एवं शर्तों के बिन्दु क्रमांक – 1 के विपरीत है जबकि आवेदक का विद्युत कनेक्शन मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना के अनुरूप पूर्णतः ग्रामीण क्षैत्र में स्थित है अतः उन्हें ग्रामीण क्षैत्र हेतु निर्धारित टैरिफ में दी गई छूट देते हुए विद्युत बिल दिया जाना उचित एवं न्यायसंगत है । तद्नुसार विद्युत लोकपाल ने अपने आदेश में अनावेदक को माननीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय–समय पर ग्रामीण क्षैत्र हेतु जारी टैरिफ आदेश में दिए गए प्रावधान एवं छूट के अनुसार विद्युत देयक संशोधित कर जारी करने तथा शहरी क्षैत्र एवं ग्रामीण क्षैत्र हेतु निर्धारित टैरिफ दर के अन्तर की ज्यादा राशि जो आवेदक से ली गई हैं उनका समायोजन उनके आगामी विद्युत देयकों में करने हेतु आदेशित किया ।

04. विद्युत लोकपाल के आदेश दिनांक 09.06.2016 के विरूद्ध अनावेदक कम्पनी ने ''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना), विनियम 2009'' के विनियम 5.3 के अन्तर्गत माननीय विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिस पर संज्ञान लेते हुए माननीय आयोग ने अपने आदेश दिनांक 02.11.2018 के सरल क्रं0 5 एवं 6 में प्रकरण में निम्नानुसार संज्ञान लेते हुए दोनों पक्षों की सुनवाई कर आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश के अनुपालन में प्रकरण की पुनः समीक्षा करने हेतु निर्देशित किया है ।

5. **In the tariff order, for LT category the fixed charges are different for urban and rural areas and for that only, rural area is defined in the tariff order. Such provision is not available for HT category. However, considering that there may be discrimination in supply hours in rural areas and to compensate that, a clause for rebate has been introduced for HV3 category of consumers receiving power through rural feeders.**
6. **In the rural areas, there are mainly two types of feeders. One supplying exclusively to agriculture pumps and othere having mixed load supplying 24x7 power. In the instant case, the Forum stated that the applicant did not fall under rural feeder supply category. However, Ombudsman did not consider the case on the basis of complete**

provisions of the tariff order. Therefore, the aforesaid decision of the Ombudsman needs to be reexamined on the above points

05. माननीय आयोग के निर्देशानुसार प्रकरण में प्रथम सुनवाई दिनांक 19.12.2018 को नियत की जाकर उभयपक्ष को नोटिस जारी किए गए। तत्कालीन समय नियमित विद्युत लोकपाल की नियुक्ति न होने के कारण प्रभारी विद्युत लोकपाल द्वारा नियमित विद्युत लोकपाल की पदस्थापना की प्रत्याशा में प्रकरण में सुनवाई न की जाकर सुनवाई आगे बढ़ाई जाती रही। अन्ततः माह अप्रैल 2019 में नियमित विद्युत लोकपाल के पदग्रहण करने के पश्चात प्रकरण की सुनवाई दिनांक 26.04.2019 को नियत थी। चूंकि इस दिनांक को समस्त लंबित प्रकरण की सुनवाई एक ही दिन नियत की गई थी जो कि व्यावहारिक दृष्टि से संभव नहीं था, अतः सभी प्रकरणों की सुनवाई पुनः ही पुनर्निर्धारित (Re-schedul) की गई और प्रकरण में प्रारंभिक सुनवाई दिनांक 21.05.2019 को आयोजित की गई, बाद में दिनांक 11.06.2019, 02.07.2019, 01.08.2019, 20.08.2019, 23.09.2019, 10.10.2019, 13.11.2019 एवं 12.12.2019 को सुनवाईयां आयोजित की गईं । सुनवाईयों में आवेदक की ओर उनके अधिकृत अधिवक्ता श्री बी0 एच0 अंसारी उपस्थित हुए तथा अनावेदक की ओर से श्री कुरैशी, कार्यपालन यंत्री (संचा./संधा) बुरहानपुर उपस्थित हुए ।

06. प्रकरण में की गई नई सुनवाईयों में उभयपक्षों की ओर से कोई नया तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है । आवेदक की ओर से उनके अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक का उच्चदाब कनेक्शन म0प्र0 शासन की अधिसूचना के अनुसार ग्रामीण क्षैत्र में स्थापित है और कथित 24 x 7 विद्युत प्रदाय वाले डोमेस्टिक फीडर से विद्युत प्रदाय किए जाने से इस तथ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है । विद्युत लोकपाल ने माननीय नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेशों में एच.वी.–3 केटेगरी के ग्रामीण उच्चदाब उपभोक्ताओं की फिक्स चार्ज और मिनिमम खपत पर छूट दिए जाने संबंधी प्रावधानों की उचित व्याख्या कर आदेश दिया है जो विधि अनुसार सर्वथा उचित है जिसे अपहेल्ड किया जाना ही न्यायहित में होगा ।

अनावेदक की ओर से पुनः यह तर्क दिया गया है कि :–

i) आवेदक को 33/11 के0व्ही0 बड़गांव उपकेन्द्र से फीडर सेपरेशन योजना के अंतर्गत निर्मित नवीन 11 के0व्ही0 बड़गांव डोमेस्टिक फीडर जिस पर अनवरत 24 घंटे विद्युत प्रदाय होता हैं के द्वारा उच्चदाब कनेक्शन प्रदाय किया गया हैं । इतना ही नहीं इस संबंध में उपभोक्ता के सहमति के आधार पर उक्त 11 के0व्ही0 लाईन से जोड़ कर विद्युत प्रदाय दिया गया है । विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ में शहरी या ग्रामीण ऐसा कोई अंतर नहीं है । अतः 24 घंटे विद्युत प्रदाय वाले फीडर पर किसी प्रकार का रिबेट का कारण उत्पन्न नहीं होता । उक्त टैरिफ का चयन उपभोक्ता द्वारा स्वयं किया गया है ।

ii) उच्चदाब टैरिफ में ग्रामीण या शहरी की दर में किसी प्रकार का अंतर नहीं हैं एवं 24 घंटे विद्युत प्रदाय वाला फीडर होने के कारण आवेदक किसी प्रकार का रिबेट का हकदार नहीं हैं ।

iii) आवेदक को 24 घंटे विद्युत प्रदाय वाले फीडर पर उच्चदाब कनेक्शन दिया गया हैं एवं विद्युत नियामक आयोग के नियमानुसार ही विद्युत बिल जारी किए जा रहे हैं । अतः आवेदक किसी प्रकार की छूट का हकदार नहीं हैं।

07. आवेदक द्वारा प्रस्तुत लिखित अपीलीय अभ्यावेदन, प्रकरण में विभिन्न सुनवाईयों में उभयपक्षों द्वारा किए गए कथनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रकरण की विवेचना की गई ।

(अ) प्रस्तुत लिखित अपील और सुनवाई में किए गए कथन/प्रस्तुत जानकारी से प्रकरण संबंधी निम्न तथ्य प्राप्त होते हैं कि :–

i) आवेदक का उच्चदाब कनैक्शन ग्राम मोदड़खुर्द तहसील बुरहानपुर में स्थित है जो मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25.03.2016 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में आता है। आवेदक द्वारा यह कनैक्शन वर्ष जनवरी 2015 में प्राप्त किया गया था। अनुबंध की प्रारंभिक दो वर्ष की अवधि के समाप्त होने पर इस उच्चदाब कनेक्शन को आवेदक उपभोक्ता द्वारा स्थाई रूप से विच्छेदित करवाकर इसके स्थान पर एक निम्नदाब औद्योगिक कनेक्शन लिया गया है जो वर्तमान में चालू हैं और उसी 11 के0व्ही0 बड़गांव फीडर से विद्युत प्रदाय प्राप्त करता है जिससे प्रश्नाधीन उच्चदाब कनेक्शन को विद्युत प्रदाय किया जाता था ।

ii) आवेदक के उच्चदाब कनैक्शन को विद्युत प्रदाय करने वाला 11 के0व्ही0 बड़गांव फीडर एक डोमेस्टिक फीडर है जिससे केवल और केवल ग्रामीण क्षेत्र को ही विद्युत प्रदाय किया जाता है । अनावेदक की कंपनी द्वारा किए गए फीडर वर्गीकरण में ग्रामीण फीडरों के लिए ग्रुप – I से ग्रुप –IV निर्धारित किए गए हैं और 11 के.व्ही. बड़गांव फीडर ग्रुप –II में वर्गीकृत है ।

(ब) प्रकरण में विचारणीय बिन्दु यह है कि माननीय विद्युत नियामक आयोग, जिन्हें आगे माननीय आयोग से संबोधित किया गया है, द्वारा वर्ष 20110–11 व उसके बाद के सभी टैरिफ आर्डरों में टैरिफ श्रेणी एच.वी.–3 के अन्तर्गत विद्युत प्रदाय प्राप्त कर रहे उच्चदाब उपभोक्ता विशेष को फिक्स चार्जेज में 2014–15 तक 10 प्रतिशत एवं 2015–16 से 5 प्रतिशत तथा न्यूनतम खपत (Kwh) में 20 प्रतिशत की कमी संबंधी जो छूट प्रदान की है, उस छूट के लिए उच्चदाब उपभोक्ता की क्या पात्रता निर्दिष्ट की गई है और क्या पात्रता के इस आधार पर आवेदक इस छूट को प्राप्त करने का अधिकारी है ?

उक्त बिन्दु की विवेचना में सर्वप्रथम माननीय आयोग द्वारा वर्ष 2010–11 से लगातार अब तक जारी वार्षिक टैरिफ आदेशों में टैरिफ श्रेणी एच.वी.–3 के विशिष्ट निबंधन एवं शर्तों के अन्तर्गत संबंधित कण्डिका, निम्नानुसार उद्धृत है :–

"Rebate for supply through feeders feeding supply to predominantly rural areas: HT consumers of this category receiving supply through rural feeders shall be entitled to 5% rebate on Fixed Charges and 20% reduction

in Minimum Consumption (kWh) as specified above for respective voltage levels."

उक्त विशिष्ट निबंधन एवं शर्त का सुक्ष्म अवलोकन व सावधानीपूर्वक अध्ययन से निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए :–

i) प्रश्नाधीन छूट प्राप्त करने की पात्रता उपभोक्ता के उच्चदाब कनैक्शन की भौगोलिक स्थिति यथा ग्रामीण क्षेत्र अथवा शहरी क्षैत्र पर आधारित नहीं है।

ii) प्रश्नाधीन छूट की पात्रता टैरिफ श्रेणी एच.वी.–3 के केवल उन उच्चदाब उपभोक्ताओं को है जिनको उस फीडर से विद्युत प्रदाय किया जा रहा हो, जो ग्रामीण बाहुल्य क्षेत्र को विद्युत प्रदाय करता हो।

(स) प्रकरण की विवेचना में विद्युत लोकपाल द्वारा दिनांक 09.06.2016 को पारित आदेश का भी अवलोकन किया गया। पारित आदेश में लोकपाल ने निम्नानुसार निष्कर्ष प्राप्त होना अंकित किया है :–

i) आवेदक का विद्युत कनेक्शन ग्राम मोदड़खुर्द में स्थापित है जो कि ग्रामीण क्षेत्र में आता है।

ii) आवेदक द्वारा वर्ष 2014–15 के लिए प्रचलित टैरिफ की तालिका एलवी–3.1 के अनुसार अनुबंध निष्पादित किया है जिसके अनुसार उच्चदाब उपभोक्ता को जो कि ग्रामीण फीडर से विद्युत प्राप्त कर रहे हैं उनको फिक्स चार्ज पर 10 प्रतिशत की छूट एवं न्यूनतम खपत पर 20 प्रतिशत की छूट देने का प्रावधान है।

iii) अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज (ओई–1) जिसमें कि उद्योग विभाग द्वारा औद्योगिक क्षेत्र हेतु भूमि आबंटित करने का उल्लेख किया है। इससे स्पष्ट है कि ग्राम मोदड़खुर्द उसमें शामिल नहीं है और न ही वर्तमान में इस क्षेत्र को कोई विशेष क्षेत्र का दर्जा दिया जाना पाया जाता है। केवल ग्राम मोदड़खुर्द औद्योगिक क्षेत्र हेतु आबंटित भूमि के पास स्थित होने से मोदड़खुर्द को औद्योगिक क्षेत्र में शामिल माना जाना उचित नहीं है । वर्तमान में जिस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र हेतु भूमि आबंटित की गई है उसे शासन द्वारा विशेष क्षेत्र घोषित किया गया हो उसके दस्तावेज अनावेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। अनावेदक द्वारा ऐसा भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिसमें कि ग्राम मोदड़खुर्द को नगर निगम सीमा में शामिल करने का कोई प्रस्ताव शासन के पास लंबित हो। अतः आवेदक के विद्युत कनेक्शन के विरूद्ध शहरी क्षेत्र हेतु लागू टैरिफ के अनुसार विद्युत देयक दिया जाना सर्वथा अनुचित एवं नियम के विपरीत है।

iv) अनावेदक का इस आधार पर कहना कि ग्रामीण क्षेत्र हेतु निर्धारित टैरिफ में दी गई छूट का लाभ आवेदक को नहीं दिया जा सकता क्योंकि उनके विद्युत कनेक्शन को 24 घंटे डोमेस्टिक फीडर से विद्युत प्रदाय किया जा रहा है, माननीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश में शामिल सामान्य नियम एवं शर्तों के बिन्दु क्रमांक–1 के विपरीत है। जबकि आवेदक का विद्युत कनेक्शन म.प्र. शासन की अधिसूचना के अनुरूप पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। अतः उन्हें ग्रामीण क्षेत्र हेतु निर्धारित टैरिफ में दी गई छूट देते हुए विद्युत बिल दिया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

उक्त अवलोकन एवं अभिमत के आधार पर लोकपाल द्वारा दिनांक 09.06.2016 को निर्णय पारित किया गया कि – **"अनावेदक आवेदक को माननीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय–समय पर ग्रामीण क्षेत्र हेतु जारी टैरिफ आदेश में दिये गये प्रावधान एवं छूट के अनुसार विद्युत देयक संशोधित कर जारी करें तथा शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु निर्धारित टैरिफ दर के अंतर की ज्यादा राशि जो आवेदक से ली गई है उसका समायोजन उनके आगामी विद्युत देयकों में करें। फोरम का आदेश अपास्त किया जाता है। "**

(द) आवेदक की अपील मूलतः इस तर्क पर आधारित है कि उनका उच्चदाब कनेक्शन मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25.03.2016 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र ग्राम मोदड़खुर्द में स्थित है तथा अपीलार्थी को मात्र 24 घंटे विद्युत सप्लाई दी जाने से ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र नहीं बना जाता है अर्थात् अपीलार्थी ग्रामीण क्षेत्र का उपभोक्ता होने से उसे विद्युत प्रदाय किसी भी सब स्टेशन से दी जावे वह ग्रामीण क्षेत्र ही रहेगा और इस आधार पर अपीलार्थी नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को दी जाने वाली फिक्स चार्ज और मिनिमम चार्ज की छूट प्राप्त करने का अधिकारी है ।

अनावेदक की ओर से तर्क दिया गया है कि आवेदक के उच्चदाब कनेक्शन को 11 के0व्ही0 बड़गांव डोमेस्टिक फीडर से 24 x 7 विद्युत प्रदाय किए जाने के कारण आवेदक की मांग टैरिफ आदेश अनुसार नहीं होकर मान्य नहीं है। वहीं अनावेदक प्रतिनिधि कार्यपालन यंत्री (संचा. /संधा.) बुरहानपुर ने कथन कर यह भी स्वीकार किया है कि इस फीडर से केवल ग्रामीण क्षेत्र को ही विद्युत प्रदाय किया जा रहा है । उन्होंने कथन किया है कि विद्युत प्रदाय व्यवस्था के प्रबंधन की दृष्टि से अनावेदक की कंपनी के क्षेत्रान्तर्गत समस्त फीडरों के किए गए वर्गीकरण में फीडर्स को ग्रुप – I से ग्रुप – IX में वर्गीकृत किया है जिसमें ग्रामीण फीडर्स को ग्रुप – I से ग्रुप – X में तहसील मुख्यालय को विद्युत प्रदाय करने वाले फीडर्स को ग्रुप – V से ग्रुप – IV में, जिला मुख्यालय के फीडर्स को ग्रुप – VII में तथा संभागीय मुख्यालय के फीडर्स को ग्रुप – VIII में, औद्योगिक फीडर्स को ग्रुप – IX में वर्गीकृत किया गया है तथा प्रश्नाधीन 11 के0व्ही0 बड़गांव फीडर ग्रामीण फीडर होने के कारण ग्रुप – II में वर्गीकृत किया गया है।

(इ) विवेचना में माननीय आयोग द्वारा प्रश्नाधीन प्रकरण में जारी आदेश दिनांक 02.11.2018 के सरल क्रमांक 05 एंव 06 पर दी गई टिप्पणी का अवलोकन किया गया जो निम्नानुसार हैः–

> ***5.*** **In the tariff order, for LT category the fixed charges are different for urban and rural areas and for that only, rural area is defined in the tariff order. Such provision is not available for HT category. However, considering that there may be discrimination in supply hours in rural areas and to compensate that, a clause**

for rebate has been introduced for HV3 category of consumers receiving power through rural feeders.

6. **In the rural areas, there are mainly two types of feeders. One supplying exclusively to agriculture pumps and othere having mixed load supplying 24x7 power. In the instant case, the Forum stated that the applicant did not fall under rural feeder supply category. However, Ombudsman did not consider the case on the basis of complete provisions of the tariff order. Therefore, the aforesaid decision of the Ombudsman needs to be reexamined on the above point.**

अपने आदेश दिनांक 02.11.2018 में माननीय आयोग ने उक्त पैरा क्रमांक – 6 में उल्लेखित किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतया दो प्रकार के फीडर हैं – एक वह जो शुद्ध रूप से कृषि पंपों को विद्युत प्रदाय करते हैं और दूसरा जिस पर मिश्रित भार है जो 24 x 7 विद्युत प्रदाय कर रहा है। वर्तमान प्रकरण में फोरम ने कथन किया है कि आवेदक ग्रामीण फीडर से विद्युत प्रदाय की श्रेणी में नहीं आता था, किन्तु लोकपाल ने टैरिफ आदेश के संपूर्ण प्रावधानों पर विचार नहीं किया । वहीं पैरा क्रं0 5 में माननीय आयोग ने टिप्पणी दी है कि यह मानते हुए कि शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत प्रदाय की अवधि में भेद हो सकता है, इसकी भरपाई के लिए HV - 3 श्रेणी के ऐसे उपभोक्ताओं, जो ग्रामीण फीडर से विद्युत प्रदाय प्राप्त कर रहे हैं, के लिए छूट दिए जाने संबंधी कण्डिका का प्रावधान किया गया है । माननीय आयोग के उक्त उल्लेख के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2014–15 से लेकर वर्ष 2016–17 तक के जारी टैरिफ आदेशों का अवलोकन किया गया । इनके अवलोकन से ज्ञात होता है कि –

i) माननीय आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश में HV-3 श्रेणी के उच्चदाब उपभोक्ताओं को ग्रामीण बाहुल्य क्षेत्रों को विद्युत प्रदाय कर रहे ग्रामीण फीडर से विद्युत प्रदाय प्राप्त होने की स्थिति में न्युनतम खपत एवं विनिर्दिष्ट स्थाई प्रभारों में दी गई छूट बिना किसी अपवाद या शर्त विशेष के प्रावधानित की गई है।

ii) इन आदेशों की एच.वी.–3 श्रेणी में कहीं भी ''ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतया दो फीडर हैं, एक– शुद्ध रूप से सिंचाई/कृषि पंपों के लिए तथा दूसरा– 24 x 7 विद्युत प्रदाय वाला मिश्रित भार का फीडर'' की अवधारणा का कोई उल्लेख नहीं किया गया है ना ही इस श्रेणी के विशिष्ट निबंधन एवं शर्तों के खण्ड में दिए गए छूट संबंधी प्रावधान को इस अवधारणा से अथवा संबंधित फीडर से किए जा रहे विद्युत प्रदाय की अवधि से किसी प्रकार से संबंद्ध किया गया है अर्थात् छूट की पात्रता के लिए ग्रामीण बाहुल्य क्षेत्रों को विद्युत प्रदाय कर रहे फीडर से विद्युत प्राप्त किया जाना ही एकमात्र अनिवार्य शर्त है ।

iii) इन आदेशों में कोई विकल्प या शक्ति अनुज्ञप्तिधारी कंपनी को माननीय आयोग द्वारा नहीं दी गई है कि 24 x 7 विद्युत प्रदाय किए जाने के आधार पर वह टैरिफ आदेश के प्रावधानों के प्रतिकूल निर्णय ले सकता है ।

iv) इन आदेशों में प्रावधानित समस्त शर्तें बिना किसी अपवाद के प्रयोज्य हैं।

उक्त अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों के सापेक्ष विद्युत प्रदाय की कमतर अवधि का संज्ञान लेते हुए माननीय आयोग द्वारा एक बार टैरिफ आदेश में एच0वी0 – 3 श्रेणी के ग्रामीण बहुल क्षेत्रों को विद्युत प्रदाय करने वाले ग्रामीण फीडरों से विद्युत प्रदाय प्राप्त करने वाले उच्चदाब उपभोक्ताओं को न्युनतम खपत तथा विनिर्दिष्ट स्थाई प्रभारों पर छूट दिए जाने संबंधी प्रावधान किए जाने के बाद यह एक नियम के रूप में स्थापित हो जाता है जिसका अनुपालन प्रत्येक स्थिति में अनिवार्य है जब तक कि माननीय आयोग द्वारा किसी सामान्य या विशेष आदेश के माध्यम से अन्यथा निर्देशित नहीं किया गया हो । अनावेदक की ओर से इस संबंध में माननीय आयोग का ऐसा कोई सामान्य या विशेष आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसमें ग्रामीण बहुल क्षेत्रों को विद्युत प्रदाय करने वाले ग्रामीण फीडर से विद्युत प्रदाय प्राप्त कर रहे एच0वी0 – 3 श्रेणी के उच्चदाब उपभोक्ताओं को उस फीडर से 24 x 7 विद्युत प्रदाय किए जाने की स्थिति में इस प्रावधान के अनुपालन से मुक्त रखा गया हो ।

08. उक्तानुसार की गई विस्तृत विवेचना से निष्कर्ष प्राप्त होते हैं कि –

i) आवेदक के उच्चदाब कनेक्शन को जिस 11 के0व्ही0 बड़गांव डोमेस्टिक फीडर से विद्युत प्रदाय किया जा रहा था वह विशुद्ध रूप से शत प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत प्रदाय करने वाला ग्रामीण फीडर है जो वर्ष 2010–11 से प्रतिवर्ष जारी टैरिफ आदेशों की टैरिफ श्रेणी एचवी–3 के 'विशिष्ट निबंधन एवं शर्तों' के खण्ड की संबंधित कण्डिका **"Rebate for supply through feeders feeding supply to predominantly rural areas"** में उल्लेखित **"Feeder Feeding Supply to Predominantly Rural Areas"** की परिधि में आता है ।

ii) आवेदक का तत्कालीन उच्चदाब कनेक्शन ग्रामीण फीडर से विद्युत प्रदाय की श्रेणी में आता है और आवेदक टैरिफ श्रेणी एचवी 3.1 के विशिष्ट निबंधन एवं शर्तों के खण्ड में प्रावधानित स्थाई प्रभार एवं न्यूनतम खपत पर क्रमशः 10/5 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत छूट प्राप्त करने हेतु पात्र पाया जाना सिद्ध होता है ।

iii) ग्रामीण बहुल क्षेत्रों को विद्युत प्रदाय करने वाले ग्रामीण फीडर से 24 x 7 विद्युत प्रदाय किए जाने की स्थिति में इस फीडर से विद्युत प्रदाय प्राप्त कर रहे HV-3 श्रेणी के उच्चदाब उपभोक्ताओं को न्युनतम खपत एवं विनिर्दिष्ट स्थाई प्रभारों में छूट दिए जाने के प्रावधान लागू नहीं होने संबंधी माननीय आयोग द्वारा जारी कोई सामान्य या विशेष आदेश अनावेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में माननीय आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश के प्रावधानों के विपरीत जाकर दी गई छूट का लाभ अनावेदक द्वारा कथित 24 x 7 विद्युत प्रदाय के आधार पर आवेदक उच्चदाब उपभोक्ता को नहीं दिया जाना टैरिफ आदेश के स्पष्ट उल्लंघन की परिधि में आकर न्यायोचित नहीं पाया जाता है।

iv) विद्युत लोकपाल के आदेश दिनांक 09.06.2016 में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाई जाती है और इसे यथावत् रखा जाना न्यायोचित होगा ।

09. प्रकरण की विस्तृत विवेचना में प्राप्त तथ्यों एवं निष्कर्ष के आधार पर आवेदक की अपील स्वीकार करने तथा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर उज्जैन क्षेत्र द्वारा पारित

आदेश दिनांक 14.03.2018 को निरस्त करने संबंधी विद्युत लोकपाल का आदेश दिनांक 09.06.2016 यथावत् रखे जाने का निर्णय पारित किया जाता है ।

10. इसके साथ ही माननीय आयोग के आदेश दिनांक 02.11.2018 का पालन होने के साथ ही प्रकरण निर्णीत होकर समाप्त होता है ।

11. माननीय आयोग के आदेश दिनांक 02.11.2018 के पालन प्रतिवेदन स्वरूप इस आदेश की एक प्रति सचिव, म0प्र0 विद्युत नियामक आयोग को पृथक से प्रेषित हो।

12. उभय पक्ष प्रकरण में हुआ अपना अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे। आदेश की निःशुल्क प्रति के साथ उभय पक्षकार एवं फोरम अलग से सूचित हों।

विद्युत लोकपाल